सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh

फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh

विषय-सूची

अध्याय I प्रारंभिक		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1-2
1.2	परिभाषाएं	2-4
अध्याय II प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित की पृष्ठभूमि		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	5
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	5
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	5-6
अध्याय III संरक्षित संस्मारक – "फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है का स्थान एवं अवस्थिति"		
3.1	संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	7
3.2	संस्मारक की संरक्षित सीमा	8
	3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना	8
3.3	संस्मारक का इतिहास	8
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि)	8
3.5	वर्तमान स्थिति	8
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन	8
	3.5.2 दैनिक आगंतुकों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या	9
अध्याय IV स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो		
4.1	विद्यमान क्षेत्रीकरण	10
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशा-निर्देश	10
अध्याय V प्रथम अनुसूची एवं कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना		
5.1	संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण और उनकी मुख्य विशेषताएं	11
	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11-12
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	12
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ, आदि	12

	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्रवार)	13
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन	13
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	13
	5.2.8 संस्मारक तक जाने की सुगमता	13
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	13
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	13
अध्याय VI **संस्मारकों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व**		
6.1	संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	14
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	14
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	14-15
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	15
6.5	संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष	15
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	15
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक भू-दृश्य	15
6.8	खुले स्थान और भवनों का उपयोग	15
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां	15
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	15
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	16
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना	16
6.13	भवन संबंधी मानदंड	16
	6.13.1 मरम्मत एवं नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	16
	6.13.2 पुनर्निर्माण	16-17
	6.13.3 नया निर्माण	17-18
6.14	आगंतुकों की सुविधाएं और साधन	19
अध्याय VII **कार्य-स्थल विशिष्ट संस्तुतियां**		
7.1	कार्य-स्थल विशिष्ट संस्तुतियां	20
7.2	अन्य संस्तुतियां	20

CONTENTS

	CHAPTER I **Preliminary**	
1.1	Short title, Extent and Commencements	21
1.2	Definitions	22-23
	CHAPTER II **Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended**	
2.1	Background of The Act	24
2.2	Provisions of the Act related to Heritage Bye-laws	24
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	24-25
	CHAPTER III **Location and Setting of the Protected Monument — "Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh"**	
3.1	Location and Setting of the Monument	26
3.2	Protected boundary of the Monument	27
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	27
3.3	History of the Monument	27
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	27
3.5	Current Status	27
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	27
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	27
	CHAPTER IV **Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans**	
4.1	Existing Zoning	28
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	28
	CHAPTER V **Information as per First Schedule and Total Station Survey**	
5.1	Survey Plan	29
5.2	Analysis of surveyed data	29
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	29
	5.2.2 Description of built up area	29
	5.2.3 Description of green/open spaces	30
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	30
	5.2.5 Existing Heights of buildings	30-31
	5.2.6 State protected monument(s) and listed Heritage Building	31
	5.2.7 Public Amenities	31
	5.2.8 Access to the Monument	31
	5.2.9 Infrastructure services	31
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies	31
	CHAPTER VI **Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monuments**	
6.1	Architectural, historical and archaeological value of the Monument	32
6.2	Sensitivity of the Monument	32

6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	32
6.4	Land-use to be identified	33
6.5	Archaeological heritage remains other than protected monument	33
6.6	Cultural landscapes	33
6.7	Significant natural landscapes	33
6.8	Usage of open space and constructions	33
6.9	Traditional, historical and cultural activities	33
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	33
6.11	Traditional architecture	33
6.12	Developmental plan as available by the local authorities	33
6.13	Permissible Building related parameters	34
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area)	34
	6.13.2 Reconstruction	34
	6.13.3 New Construction	34-36
6.14	Visitors facilities and amenities	36
CHAPTER VII Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	37
7.2	Other Recommendations	37

Annexure		
अनुलग्नक-I Annexure-I	फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh, District-Kushinagar, Uttar Pradesh	38
अनुलग्नक-II Annexure-II	एएसआई अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र-संरक्षित सीमाओं की परिभाषा Notification map as per ASI records-defination of Protection Boundaries	39-40
अनुलग्नक-III Annexure-III	फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है का अभिलेखीय मानचित्र Archival Map Showing Site Plan of Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh	41
अनुलग्नक-IV Annexure-IV	संस्मारक और उसके आसपास का चित्र Images of the Monument and its Surroundings	42-48

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारक - **"फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि, जिन्हें भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, (बी॰ एच॰ यू॰) वाराणसी, के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 01.10.2020 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय I

प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को **"फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2024 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी

होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी

उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24), यथा संशोधित है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) ''तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)'' से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियाँ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ़) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

(2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन: निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

संरक्षित संस्मारकों/स्थलों/संस्मारकों -"फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है" का स्थान एवं अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति:-

फाजिलनगर का कोट उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कसिया तहसील के फाजिलनगर इलाके में स्थित एक प्राचीन टीला है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के उत्तर दिशा में मौजूद है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को बिहार के बरौनी शहर से जोड़ता है। इसके स्थानों के भौगोलिक निर्देशांक हैं: **अक्षांश 26°41'1.49" उत्तर: देशांतर 84°3'17.44" पूर्व।**

संरक्षित संस्मारक एक घने आवासीय क्षेत्र, दुकानों, एक निजी जल उपचार सयंत्र, मंदिरों, कब्रिस्तान, स्कूलों, एक बैंक, एक तालाब और टिन शेड से घिरा हुआ है। इसके अलावा, संस्मारक के संरक्षित क्षेत्र के भीतर, एक 'पीर' और मस्जिद (मज़ार) भी मौजूद हैं।

निकटतम हवाई अड्डा गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो संरक्षित संस्मारक से लगभग 68 किमी दूर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन है जो लगभग 80 किमी दूर स्थित है। यह महात्मा बुद्ध के अन्य तीन स्थानों-लुम्बिनी, गया और सांची से अच्छा सम्पर्क मार्ग प्रदान करता है।

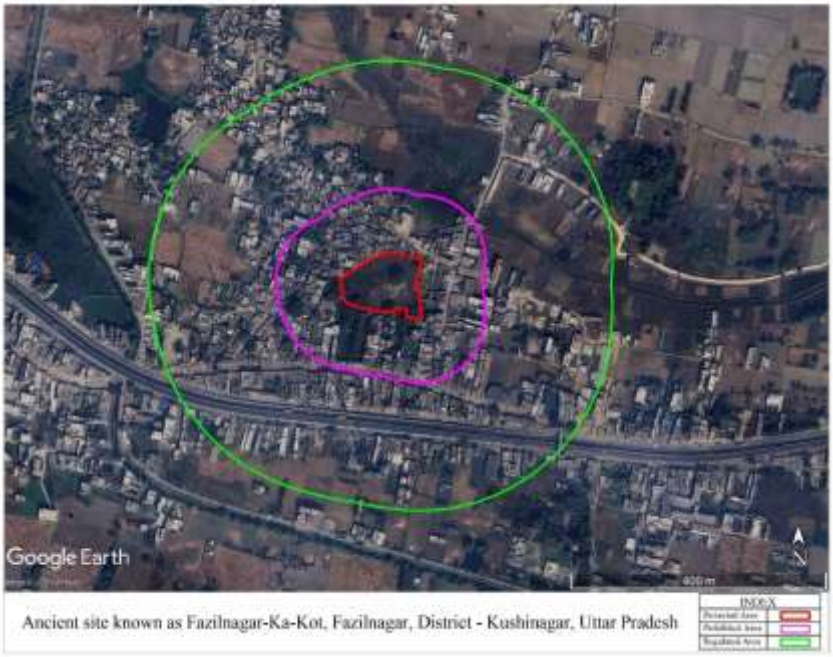

चित्र 1: फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल, फाजिलनगर, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है के संरक्षित संस्मारक का स्थान दर्शाती सांकेतिक गूगल छवि

3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक - फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल, फाजिलनगर, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है, की सीमा **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

प्राचीन स्थल जिसे फाजिलनगर का कोट के नाम से जाना जाता है, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है, की अधिसूचना को **अनुलग्नक-II** में संदर्भित किया गया है।

3.3 संस्मारकों/स्थल का इतिहास:

टीले के दो चरण हैं; पहला 5वीं-6वीं शताब्दी ई.पू. का है और दूसरा 1300-1500 ई.पू. का है। 5वीं शताब्दी ई.पू. की एक उत्कीर्ण टेराकोटा सीलन, परिसर का श्रेष्ठिग्राम या आधुनिक साथियान की बड़ी बस्ती के अग्रहार या ब्राह्मणवादी बस्ती के रूप में विवरण प्रदान करती है।

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

यह टीला जमीन से 9 मीटर ऊँचा एक रेतीला पिंड है और इसका पश्चिमी भाग मूल रूप से 5 मीटर ऊँचा है। इसका आकार 120 मीटर x 80 मीटर है और ऐसा लगता है कि इसके दो चरण हैं, जो अलग-अलग अवधियों में विकसित हुए हैं। पहले चरण में, प्रवेश द्वार और जल निकासी छिद्र के साथ 1.5 मीटर चौड़ी ईंट की दीवार थी। परिसर के अंदरूनी हिस्सों को ईंटों से पक्का किया गया था। इसके ऊपर, जाहिर तौर पर 18.80 मीटर x 14.40 मीटर आकार का एक मंदिर का ढांचा था।

इसके अलावा, परिसर के उत्तरी प्रवेश द्वार के पास एक गोलाकार खुला चबूतरा था, जिसके बीच में दो वर्ग मीटर का एक बलि का गड्ढा या "कुंड" था, जिसे ईंटों से बनाया गया था, जिसका उद्देश्य यज्ञ और मन्नत भेंट चढ़ाना था।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारकों की स्थिति- स्थिति का आकलन:

संरक्षित संस्मारक का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एकमात्र अधिकार क्षेत्र है। संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली तस्वीरें **अनुलग्नक-IV** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभार एकत्रित होने वाले लागों की संख्या:

औसतन संस्मारक में प्रतिदिन 200 स्थानीय आगंतुक और 100-180 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक आते हैं। कार्य-स्थल के संरक्षित क्षेत्र के अंदर एक 'मज़ार' स्थित है, जहाँ प्रतिदिन औसतन 40-50 आगंतुक आते हैं। इसके अलावा, हर गुरुवार और शुक्रवार को लगभग 200-400 लोग मज़ार पर आते हैं। वार्षिक "उर्स" के दौरान आगंतुकों की संख्या बढ़ जाती है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.1 विद्यमान क्षेत्रीकरण:

किसी भी वर्तमान स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई विकास योजना तैयार नहीं की गई है या सार्वजनिक कार्य-क्षेत्र में उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए, संरक्षित संस्मारक के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट कोई मौजूदा क्षेत्रीकरण नहीं है। यह संस्मारक **'नगर पंचायत फाजिलनगर'** के अधिकार क्षेत्र में आता है।

4.2 स्थानीय निकायों के विद्यमान दिशा-निर्देश:

निर्माण के लिए सामान्य दिशा-निर्देश, **"उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973"** में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार **"विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008" (समय-समय पर संशोधित)** में उल्लिखित अनुसार लागू होंगे।

संरक्षित संस्मारकों के लिए प्रावधान **"विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि - 2008; संशोधित 2016, 2018 उपधारा - 3.1.9 (I) और (II)"** में उल्लिखित हैं, जो निर्दिष्ट करता है कि, केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित के रूप में नामित स्मारकों और विरासत स्थलों के लिए, पुरातात्विक स्मारकों/स्थलों की संरक्षित सीमा से 100 मीटर की परिधि (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) के भीतर निर्माण और विकास की अनुमति नहीं है। इस प्रतिषिद्ध क्षेत्र से परे, 300 मीटर (विनियमित क्षेत्र) की दूरी तक निर्माण/विकास के लिए अनुमति **"प्राचीन संस्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित"** के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जानी चाहिए।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेखों में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों का प्रथम अनुसूची, नियम 21(1)/कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना।

5.1 प्राचीन स्थल जिसे फाजिलनगर का कोट के नाम से जाना जाता है, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का हिस्सा शामिल है, की सर्वेक्षण योजना:

सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षण किए गये आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

(क) संस्मारकों का संरक्षित क्षेत्र 2.25 एकड़ है। (लगभग)

(ख) संस्मारकों का प्रतिषिद्ध क्षेत्र 19.77 एकड़ है। (लगभग)

(ग) संस्मारकों का विनियमित क्षेत्र 101.20 एकड़ है। (लगभग)

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र</u>:

उत्तर: इस दिशा में आवास मौजूद हैं। कुछ आवास उत्तर-पूर्व दिशा में भी मौजूद हैं।

दक्षिण: इस दिशा में आवास, दुकानें, निजी जल उपचार संयंत्र और कब्रिस्तान मौजूद हैं। आवास और दुकानें दक्षिण-पश्चिम दिशा में भी मौजूद हैं।

पूर्व: इस दिशा में आवास, दुकानें, शौचालय और कुछ टिन शेड संरचनाएं मौजूद हैं। आवास दक्षिण-पूर्व दिशा में मौजूद हैं।

पश्चिम: इस दिशा में आवास मौजूद हैं। कुछ आवास और एक मंदिर भी उत्तर-पश्चिम दिशा में मौजूद हैं।

<u>विनियमित क्षेत्र</u>:

उत्तर: इस दिशा में आवास मौजूद हैं। आवास, एक स्कूल और एक मस्जिद भी उत्तर-पूर्व दिशा में मौजूद है।

दक्षिण: इस दिशा में आवास, दुकानें, ज्ञान ज्योति स्कूल और राजमार्ग पर एक ग्रेड सेपरेशन संरचना मौजूद है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में कुछ दुकानें और आवास भी मौजूद हैं।

पूर्व: इस दिशा में आवास, दुकानें, के.डी. जूनियर अकादमी स्कूल, टिन शेड संरचना और एसबीआई बैंक मौजूद हैं। दक्षिण-पूर्व दिशा में दुकानें और मंदिर भी मौजूद हैं।

पश्चिम: इस दिशा में आवास, झोपड़ियाँ, दुकानें, एक सरकारी स्कूल, एक मैरिज गार्डन, मंदिर और मस्जिद मौजूद हैं। कुछ आवास उत्तर-पश्चिम दिशा में भी मौजूद हैं।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र</u>:

उत्तर: इस दिशा में खुली बंजर भूमि मौजूद है।

दक्षिण: इस दिशा में मौजूदा कब्रिस्तान के परिसर के नीचे खुली भूमि मौजूद है। इमारतों के बीच खुली भूमि के रूप में मौजूद कुछ छोटी जगहें भी इसी दिशा में मौजूद हैं।

पूर्व: इमारतों के बीच खुली भूमि के रूप में मौजूद छोटी जगहें इस दिशा में मौजूद हैं।

पश्चिम: इस दिशा में इमारतों के बीच में खुली भूमि के रूप में मौजूद छोटी जगहें मौजूद हैं।

<u>विनियमित क्षेत्र</u>:

उत्तर: इस दिशा में मौजूदा संरचनाओं के बीच में कृषि भूमि, एक तालाब और सिंचाई नहर/प्राकृतिक नाला के साथ कुछ खुली भूमि मौजूद है।

दक्षिण: इस दिशा में इमारतों के बीच में खुली भूमि के रूप में मौजूद छोटी जगहें मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र के बाहरी इलाके में कृषि उपयोग के तहत खुली भूमि भी मौजूद है।

पूर्व: मौजूदा संरचनाओं के बीच में खुली भूमि के रूप में खुली जगहें मौजूद हैं। इस दिशा में कृषि भूमि और सिंचाई नहर/प्राकृतिक नाला भी मौजूद है।

पश्चिम: मौजूदा संरचनाओं के बीच में खुली भूमि के रूप में खुली जगहें मौजूद हैं। उत्तर-पश्चिम दिशा में कृषि भूमि भी मौजूद है।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र-सड़कें, फुटपाथ आदि:

संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में, कई मिट्टी/ईंट/पक्की सड़कें और गलियाँ मौजूद हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पूर्व और पश्चिम दिशा में जाता है, यह दक्षिण दिशा से विनियमित क्षेत्र से भी गुजरता है। लगभग 43,623.338 वर्गमीटर भूमि सभी सड़कों के अंतर्गत आती है।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊँचाई (क्षेत्रवार):

उत्तर: संरचनाओं/इमारतों की ऊँचाई जी से जी+ 3 संरचनाओं तक है, जिनकी अधिकतम ऊँचाई 12.50 मीटर (लगभग) है।

दक्षिण: संरचनाओं/इमारतों की ऊँचाई जी से जी+4 संरचनाओं तक है, जिनकी अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर (लगभग) है।

पूर्व: संरचनाओं/इमारतों की ऊँचाई जी से जी+ 2 संरचनाओं तक है, जिनकी अधिकतम ऊँचाई 10 मीटर (लगभग) है।

पश्चिम: संरचनाओं/भवनों की ऊँचाई जी से जी+ 3 संरचनाओं तक है, जिनकी अधिकतम ऊँचाई 12.50 मीटर (लगभग) है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर राज्य संरक्षित संस्मारक और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कोई राज्य संरक्षित संस्मारक या अन्य धरोहर भवन मौजूद नहीं हैं।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएँ:

केवल संरक्षण सूचना बोर्ड उपलब्ध है।

5.2.8 संस्मारक तक जाने की सुगमता:

संस्मारक तक दक्षिण में मौजूद ईंट की सड़क से इसके प्रवेश स्थल तक पहुँचा जा सकता है। यही सड़क 91 मीटर की दूरी तक फैली हुई है और एक अन्य पक्की सड़क से जुड़ती है जो 350 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग तक जाती है।

5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएँ (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

कोई अवसरंचनात्मक सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

5.2.10 क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

किसी भी मौजूदा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई विकास योजना तैयार नहीं की गई है और न ही सार्वजनिक कार्य-क्षेत्र में उपलब्ध है, इसलिए वर्तमान में कोई ज़ोनिंग प्रस्तावित नहीं है।

अध्याय VI

संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

संस्मारक एक उत्खनित स्थल है, जिसमें केवल ईंट संरचनाओं की नींव के साक्ष्य पाए जाते हैं।

यह टीला, जिसके दो अलग-अलग चरण हैं-5वीं से 6वीं शताब्दी ई.पू. और लगभग 1300 से 1500 ई.पू. तक-महत्वपूर्ण वास्तुकला महत्व रखता है। इसकी संरचना में प्रवेश द्वार और जल निकासी छिद्र के साथ 1.5 मीटर चौड़ी ईंट की दीवार है, साथ ही 18.80 मीटर गुणा 14.40 मीटर का एक मंदिर है, जो उस समय की उन्नत निर्माण तकनीकों का संकेत देता है।

ऐतिहासिक रूप से, इस स्थल की पहचान ब्राह्मणवादी अग्रहार बस्ती के रूप में की जाती है, जो श्रेष्ठिग्राम (आधुनिक साथियान) की बड़ी बस्ती से जुड़ी हुई है। 5वीं शताब्दी ई. से उत्कीर्ण टेराकोटा सीलिंग से उस अवधि की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जो ब्राह्मणवादी संस्कृति के केंद्र के रूप में क्षेत्र की भूमिका को दर्शाती है।

पुरातात्विक रूप से, टीले के अवशेष, जिसमें यज्ञ समारोहों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बलि गड्ढे (कुंड) के साथ गोलाकार चबूतरा शामिल है, अनुष्ठान प्रथाओं और सामुदायिक जीवन के मूल्यवान साक्ष्य मिलते हैं। गड्ढे के भीतर पाए गए अग्नि और मन्नत के संकेत इसके ऐतिहासिक निवासियों के धार्मिक रीति-रिवाजों और दैनिक गतिविधियों को समझने में स्थल के महत्व को और अधिक रेखांकित करते हैं। कुल मिलाकर, संस्मारक क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य और विरासत का एक जीता-जागता साक्ष्य है।

6.2 संस्मारकों की संवेदनशीलता (जैसे विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

यह टीला पूरे प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में मौजूद आधुनिक/उप-शहरी निर्माणों से घिरा हुआ है। जबकि उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा के बाहरी इलाकों में कृषि भूमि, बंजर भूमि या बिना निर्माण वाली भूमि के रूप में खुले स्थान मौजूद हैं। गांव के इलाके में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण, मौजूदा इमारतों के बीच खुले स्थान और अन्य बिना निर्माण वाली भूमि निर्माण और विकास गतिविधियों के माध्यम से अतिक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई है।

ये स्वरूप घनी आबादी वाले क्षेत्रों और मजार के सांस्कृतिक महत्व के कारण संस्मारक द्वारा सामना किए जाने वाले विकासात्मक दबावों और शहरीकरण चुनौतियों को उजागर करते हैं

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारक से: केवल निर्मित संरचनाएं दिखाई देती हैं। पूर्व की ओर, कुछ खुले भूखंड दिखाई देते हैं और संस्मारक की दक्षिणी दिशा में एक कब्रिस्तान दिखाई देता है।

विनियमित क्षेत्र से संस्मारक की ओर: संरक्षित संस्मारक केवल उत्तर-पूर्व दिशा से आंशिक रूप से दिखाई देता है। मौजूदा संरचनाओं के कारण शेष दिशाओं से इसकी दृश्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि-उपयोग:

मौजूदा भूमि का उपयोग आवासीय और व्यावसायिक प्रकार का है। इसके अलावा, कई सार्वजनिक और धार्मिक संरचनाएँ मौजूद हैं। भूमि के कुछ हिस्सों का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा है।

6.5 संरक्षित संस्मारक के अलावा पुरातात्विक धरोहर के अवशेष:

संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में अभी तक कोई पुरातात्विक विरासत के अवशेष नहीं मिले हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

मूल रूप से 5वीं से 6वीं शताब्दी ई.पू. के समय के इस संस्मारक की पहचान ब्राह्मणवादी अग्रहार बस्ती के रूप में की गई है। हालाँकि, वर्तमान संदर्भ में, इस क्षेत्र में कोई भी संबंधित गतिविधियाँ नहीं होती हैं। कार्य-स्थल की मुख्य विशेषताओं में 1.5 मीटर चौड़ा ईंट का घेरा, एक मंदिर संरचना और एक बलि गड्ढे वाला एक गोलाकार चबूतरा शामिल है, जो सभी ब्राह्मणवादी संस्कृति और समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और स्मारकों को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

प्रतिबंधित क्षेत्र की उत्तर-पूर्व दिशा में और विनियमित क्षेत्र के उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा के बाहरी इलाके में मौजूद कृषि भूमि संस्मारक के प्राकृतिक परिदृश्य का हिस्सा है।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र की दक्षिण दिशा में खुली जगह का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में किया जाता है और यह इमारतों के बीच भूमि के अनिर्मित टुकड़ों का रूप है। विनियमित क्षेत्र में, खुली जगहें ज्यादातर कृषि उपयोग के तहत खुली भूमि के रूप में हैं। निर्माण का उपयोग मुख्य रूप से आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

6.9 परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

कभी-कभार होने वाले कार्यक्रम मजार (संरक्षित सीमा के अंदर स्थित) के भीतर होते हैं, जो आमतौर पर धार्मिक गतिविधियों के साथ जुड़े होते हैं।

6.10 संस्मारकों और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र की उत्तर-पूर्व और दक्षिण दिशाएँ और विनियमित क्षेत्र की उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशाएँ, टीले का ऊपरी हिस्सा आसपास के क्षेत्र की तुलना में क्षितिज में दिखाई देता है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर दक्षिण दिशा की ओर कुछ पुराने घर मौजूद हैं। प्रतिषिद्ध क्षेत्र की पूर्व दिशा में तथा विनियमित क्षेत्र की पश्चिम दिशा में गांव की झोपड़ियाँ मौजूद हैं।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना:

किसी भी मौजूदा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई विकास योजना तैयार नहीं की गई है या सार्वजनिक कार्य-स्थल में उपलब्ध नहीं कराई गई है।

6.13 भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 <u>मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):</u>

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुन: उपयोग की आम तौर पर अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल भवन शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन, इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की विरासत की विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 <u>पुनर्निर्माण</u>:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है। विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा।

अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 <u>नया निर्माण</u>:

6.13.3.क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण, जिसमें जनता के लिए आवश्यक कोई सार्वजनिक कार्य या परियोजना या अन्य निर्माण शामिल है, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3.ख विनियमित क्षेत्र:

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008, 2016 में संशोधित (खण्ड 1.1.1, 1.1.2, तथा 1.2.1) में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड तथा भवन विनियम, जो "उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973" के अन्तर्गत परिभाषित हैं, यथा संशोधित लागू होंगे। हालाँकि, इस दस्तावेज में निर्दिष्ट ऊँचाई तथा अन्य मापदण्ड संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि में केवल कृषि तथा कृषि से संबंधित निर्माण की अनुमति होगी।

1. कार्य-स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (जिसमें ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत पर बने बगीचे की पेंटहाउस संरचना आदि शामिल हैं) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:

नए निर्माण या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **15.00 मीटर** (जिसमें ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत पर बने बगीचे की पेंटहाउस संरचना आदि शामिल हैं) या छत पर कोई अन्य सेवाएं शामिल हैं, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

संरक्षित संस्मारक की संरचना, सुरक्षा पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए तलघर के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

2. उपयोग:

(i) किसी भी मौजूदा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई भूमि उपयोग निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ii) वर्तमान भूमि उपयोग को यथासंभव बनाए रखा जा सकता है।

3. अग्रभाग डिजाइन:

(i) निर्माण का अग्रभाग डिजाइन न्यूनतम होना चाहिए, ताकि यह संस्मारक और आसपास के क्षेत्र के समग्र विरासत स्वरूप पर हावी न हो। अग्रभाग डिजाइन सूक्ष्म, प्लास्टर किया हुआ और मिट्टी के रंगों (सफेद, ग्रे, बेज, भूरा आदि) में चित्रित होना चाहिए।

(ii) विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थित सभी भवनों के लिए दुकानों और आवासों के मनमाने विस्तार को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

(iii) सभी ऐतिहासिक इमारतों, दुकानों के घरों के अग्रभागों को मूल डिजाइन (ब्रैकेट, छज्जा, मेहराबदार दरवाजे, खिड़कियां आदि की श्रृंखला) के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए।

(iv) प्लंबिंग और बिजली की सेवाएं व्यवस्थित होनी चाहिए और इमारत के बाहरी हिस्से में नहीं होनी चाहिए।

4. छत डिजाइन:

(i) क्षेत्र में सपाट छत डिजाइन का पालन किया जा सकता है।

(ii) भवन की छत पर एल्युमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं का निर्माण हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

(iii) सभी सेवाएँ जैसे कि बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ, छत पर पानी के भंडारण टैंक या छत पर रखे बड़े जनरेटर सेट जिन्हें स्क्रीन दीवारों (ईंट/सीमेंट शीट, लौवर, जालियाँ या ऐसे अन्य डिज़ाइन तत्व) का उपयोग करके बंद किया जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

5. निर्माण सामग्री:

संस्मारक के सभी सड़क के अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जा सकती है। बाहरी परिसज्जा के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे कि एल्युमीनियम क्लैडिंग, ग्लास ईंटें और कोई अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ईंट और पत्थर जैसी पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

6. रंग:

बाहरी रंग संरक्षित संस्मारक के साथ सामंजस्य में तटस्थ रंग का होना चाहिए जैसे कि बफ सैंडस्टोन रंग, सफेद, बेज और अन्य मिट्टी के रंग जो संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के वातावरण के साथ बिलकुल बेमेल न हों।

7. अन्य विनियम:

मेट्रो (भूमिगत या ओवरहेड), फुट-ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग या ऐसी किसी भी परियोजना जैसे किसी भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव एक विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अधीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएँ और सुख-साधन:

संरक्षित संस्मारक के आस-पास आगंतुकों की सुविधाओं और साधन पर व्यवहार्यता के अनुसार विचार किया जा सकता है।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

(i) संरक्षित संस्मारक या उसके आस-पास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल संकेतक, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग संकेतकों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) संरक्षित संस्मारक के पास, विशेष रूप से संस्मारक की सीमाओं पर होर्डिंग, बिलबोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(iii) संरक्षित संस्मारक की परिधि से सटे भवनों में किसी भी मरम्मत और नवीनीकरण की सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए ताकि इसका संरक्षित संस्मारक की संरचनात्मक मजबूती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(iv) विनियमित क्षेत्र के भीतर टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टावर, बिजली ट्रांसमिशन टावर, चिमनी और ओवरहेड पानी की टंकियों को जहां तक हो सके, न लगाया जाये, और इन्हें विनियमित क्षेत्र से बाहर लगाए जाने पर विचार किया जा सकता है।

(v) संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में आवागमन के लिए पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ताकि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

(vi) वर्षा जल संचयन जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

(i) मास्टर प्लान तैयार होने पर उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित स्मारकों और इन संरक्षित स्मारकों के आसपास के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

(ii) संरक्षित संस्मारक के आसपास मौजूदा शहरीकरण से प्रतिरोधक के रूप में संरक्षित संस्मारक की आधुनिक सीमा के साथ अधिक देशी/स्थानीय घने पेड़ लगाए जाने चाहिए।

(iii) वर्तमान में, स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई भूमि उपयोग योजना/मास्टर प्लान/ज़ोनिंग विनियम आदि तैयार नहीं किए गए हैं। इसलिए, ऐसी योजनाएँ तैयार करते समय, इस धरोहर उप-विधि के प्रावधानों, जब भी वे तैयार किए जाएँ, को स्थानीय भवन उप-कानूनों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(iv) क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

(v) सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिक्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-laws for the Protected Monument **"Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh"** prepared by the Competent Authority and in consultation with IIT (BHU), Varanasi were hereby published on 01.10.2020 as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date, have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:-

"Heritage Bye-Laws for Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh"

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.1 Short title, extent and commencements:

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage Bye-laws 2024 of Protected Monument **"Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh".**

(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires:-

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes:-

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:-

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), as amended,

(d) "archaeological officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act,

(f) "competent authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act,

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or

building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Floor Area Ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot,

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area,

(i) "Government" means the Government of India,

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto,

(k) "owner" includes:-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act,

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A,

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B of this Act,

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made thereunder.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 meters in all directions of the Protected Monuments. The 300 meters area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 meters in all directions and (ii) the **Regulated Area,** the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:

Section 20E of AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for the Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the DG, ASI and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, may make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Protected Monuments/ Sites/ Group of Monuments: Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh

3.1 Location and Setting of the Monument:

Fazilnagar-Ka-Kot is an ancient mound situated in the Fazilnagar locality of the Kasia Tehsil, in the Kushinagar District of Uttar Pradesh. It is present in the North direction of the National Highway-28 which links Lucknow city of Uttar Pradesh with Barauni city of Bihar. The geographical coordinates of its locations are:
Lat. 26°41'1.49"N: Long. 84° 3'17.44"E.

The Protected Monument is surrounded by a dense residential area, shops, a private water treatment plant, temples, graveyard, schools, a bank, a pond and tin sheds. Furthermore, within the Protected Area of the monument, a 'Peer' and Mosque (Mazar) are also present.

The nearest airport is Gorakhpur International Airport which is situated at about 68 km from the Protected Monument. The nearest Railway Station is Gorakhpur Railway Station situated about 80 km. It provides good connectivity to Lumbini, Gaya and Sanchi, other three places of Buddha.

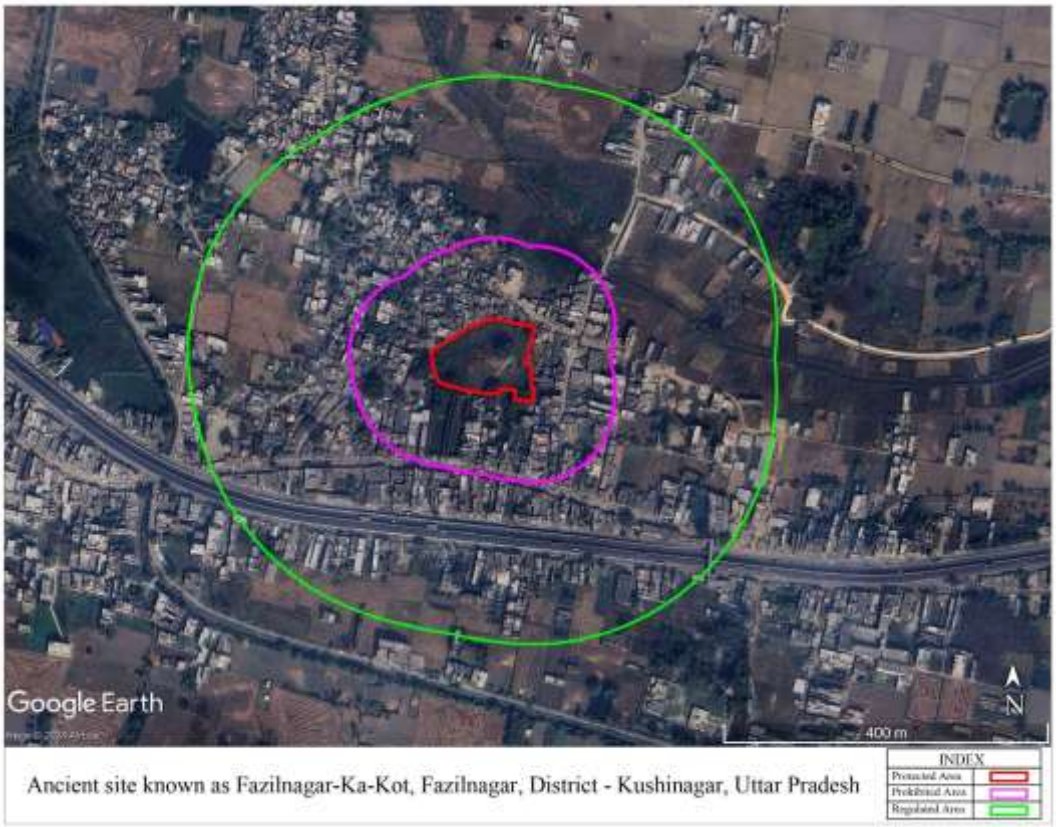

Figure 1: Indicative Google Image showing location of Protected Monument – Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh.

3.2 Protected boundary of the Monument:

The boundary of the Protected Monument - **Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh,** is referred at **Annexure-I.**

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Notification of **Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh** is referred at **Annexure-II.**

3.3 History of the Monuments/Site:

The mound has two phases; the first belonging to the 5^{th} – 6^{th} Century C.E. and the second to C. 1300 – 1500 CE. An inscribed terracotta sealing of 5^{th} Century C.E., identifies the complex as an *agrahara* or Brahmanical settlement of the adjoining larger settlement of Sresthigrama or modern Sathiyaon.

3.4 Description of Monument (architectural features, elements, materials, etc.):

The mound is a sandy mass raised 9m high above the ground and the Western part of it is originally 5m high. It is 120m x 80 m in size and seems to have two phases, which evolved in different periods. In the first phase, there was a 1.5m wide brick enclosure wall with entrances and drainage holes. The inside of the complex was paved with bricks. On top of this, there was apparently a temple structure of size 18.80m x 14.40m.

Apart from this, near the Northern entrance of the complex, there was a circular open platform, in the center of which a sacrificial pit or "Kunda" of size two square meters and built using bricks for the purpose of performing *yajna* and votive offerings.

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of the Monuments - condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monument is the exclusive domain of Archaeological Survey of India. The photographs depicting the present condition of the monument is appended at **Annexure-IV.**

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

On average, the monument receives between 200 local visitors and 100-180 international visitors per day. There is a 'mazar' located inside the Protected Area of the site where the average footfall is about 40-50 visitors per day. This apart, every Thursday and Friday, about 200-400 people visit the Mazar. The number of visitors increases during the annual "Urs".

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.1 Existing zoning:

There is no development plan prepared or made available in the public domain by any of the current Local Authorities. Therefore, there is no existing zoning specifically designated for the Protected Monument. The monument lies under the jurisdiction of the **'Nagar Panchayat Fazilnagar'**.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

The general guidelines for construction shall be applicable, as mentioned in the **"Development Authority Building Construction and Development Sub Method 2008"** (amended from time to time), as per the provisions laid in the **"Uttar Pradesh Municipal Planning and Development Act – 1973."**

Provisions for Protected Monuments are outlined in the **"Development Authority Building Construction and Development Sub Method - 2008; Revised 2016, 2018 Subsection – 3.1.9 (I) & (II)"** which specifies that, for monuments and heritage sites designated as protected by the Central Government, construction and development within a 100m radius (Prohibited Area) from the protected boundary of archaeological monuments/sites are not allowed. Beyond this Prohibited Area, up to a distance of 300m (Regulated Area); permission for construction/development must be obtained from the Competent Authority in accordance with **"The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended."**

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.1 Survey Plan of Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos.757, 758 and 759 District-Kushinagar, Uttar Pradesh, Fazilnagar:

The Survey plan may be seen at **Annexure-I.**

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

(a) Protected Area of the monuments is 2.25 Acres. (approx.)
(b) Prohibited Area of the monuments is 19.77 Acres. (approx.)
(c) Regulated Area of the monuments is 101.20 Acres. (approx.)

5.2.2 Description of built up area:

Prohibited Area:

North: Residences are present in this direction. A few residences are also present in North-East direction.

South: Residences, shops, private water treatment plant and a graveyard (kabristan) are present in this direction. Residences and shops are also present in the South-West direction.

East: Residences, shops, toilets and some tin shed structures are present in this direction. Residences are present in the South-East direction.

West: Residences are present in this direction. A few residences and a temple are also present in the North-West direction.

Regulated Area:

North: Residences are present in this direction. Residences, a school and a mosque is also present in the North-East direction.

South: Residences, shops, Gyan Jyoti School and a grade separation structure on the highway are present in this direction. In the South-West direction, a few shops and residences are also present.

East: Residences, shops, K.D. Junior Academy school, tin shed structures and SBI bank are present in this direction. Shops and temple are also present in the South-East direction.

West: Residences, huts, shops, a government school, a marriage garden, temple and mosque are present in this direction. Some residences are also present in the North-West direction.

5.2.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area:

North: Open barren land is exists in this direction.

South: Open land under the premises of an existing graveyard is present in this direction. Some small spaces existing in the form of open land lying in between the buildings are also present in same direction.

East: Small spaces existing in the form of open land lying in between the buildings are present in this direction.

West: Small spaces existing in the form of open land lying in between the buildings are present in this direction.

Regulated Area:

North: A few open land lying in between the existing structures along with agricultural land, a pond and irrigation canal/natural drain are present in this direction.

South: Small spaces existing in the form of open land lying in between of the buildings are present in this direction. On the outskirts of the Regulated Area, open land under agricultural use is also present.

East: Open spaces are present in form of open land lying in between the existing structures. Agricultural land and irrigation canal/natural drain is also present in this direction.

West: Open spaces are present in form of open land lying in between the existing structures. Agricultural land is also present in the North-West direction.

5.2.4 Area covered under circulation-roads, footpaths etc.:

In both the Prohibited and Regulated Areas of the monument, many earthen/brick/metalled roads and streets are present. A National Highway-28 runs in the East and West direction, it also passes through the Regulated Area from South direction. Approximately 43,623.338 sqm of land is covered under all the roads.

5.2.5 Existing Heights of buildings (Zone wise):

North: The height of the structures/buildings range from G to G+3 structures with maximum height of 12.50m (Approx).

South: The height of the structures/buildings range from G to G+4 structures with maximum height of 15m (Approx).

East: The height of the structures/buildings range from G to G+2 structures with maximum height of 10m (Approx).

West: The height of the structures/buildings range from G to G+3 structures with maximum height of 12.50m (Approx).

5.2.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There are no state protected monuments or other heritage buildings present in the Prohibited and Regulated Area of the monument.

5.2.7 Public amenities:

Only the Protection Notice Board is available.

5.2.8 Access to monument:

The monument is accessed by a brick road present in its South, up to its entry point. The same road extends up to a distance of 91m and gets connected with another metalled road which leads to the National Highway at a distance of 350m.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

No infrastructural services are available.

5.2.10 Proposed zoning of the area:

No development plan is prepared and available in public domain by any of the current Local Authorities therefore, at present no zoning is proposed.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monument

6.1 Architectural, historical and archaeological value:

The monument is an excavated site, wherein only evidence of the foundations of brick structures are found.

The mound, which has two distinct phases-dating from the 5th to 6th century CE and from approximately 1300 to 1500 CE-holds significant architectural value. Its structure features a 1.5-metre-wide brick enclosure wall with entrances and drainage holes, as well as a temple measuring 18.80 metres by 14.40 metres, indicative of the advanced construction techniques of its time.

Historically, the site is identified as a Brahmanical agrahara settlement, linked to the larger settlement of Sresthigrama (modern Sathiyaon). The inscribed terracotta sealing from the 5th century CE provides insight into the religious and social practices of the period, illustrating the area's role as a centre for Brahmanical culture.

Archaeologically, the mound's remains, including the circular platform with a sacrificial pit (Kunda) used for yajna ceremonies, offer valuable evidence of ritual practices and community life. Signs of fire and votive offerings found within the pit further underscore the site's significance in understanding the religious customs and daily activities of its historical inhabitants. Overall, the monument stands as a testament to the rich cultural landscape and heritage of the region.

6.2 Sensitivity of the monuments (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The mound stands surrounded by modern/sub-urban constructions present throughout the Prohibited Area and in the North-West, South, South-East and South-West directions of the Regulated Area. Whereas the North, East, West and in the outskirt of South directions, open spaces are present in form of agricultural land, barren land or unconstructed patch of land. Due to the ongoing rapid urbanization of the village area, the open spaces and other unconstructed patches of land in between the existing buildings have become more sensitive towards encroachment by way of construction and development activities.

These patterns highlight the developmental pressures and urbanization challenges faced by the monument due to its proximity to densely populated areas and the cultural significance of the Mazar.

6.3 Visibility from the Protected Monuments or Area and visibility from Regulated Area:

From the Protected Monument: Only built up structures are visible. Towards East, a few open plots are visible and a graveyard on the Southern direction of the monument is visible.

From Regulated Area towards monument: The Protected Monument is partially visible only from the North-East direction. Its visibility from the remaining directions is completely lost due to existing structures.

6.4 Land-use to be identified:

The existing land use is residential and commercial use. In addition, many public and religious structures are present. Some parts of the land are also being used for agricultural purposes.

6.5 Archaeological heritage remains other than protected monument:

No archaeological heritage remains have been found as yet within the Prohibited and the Regulated Area of the monument.

6.6 Cultural landscapes:

Originally dating back to the 5th to 6th century CE, the monument is identified as a Brahmanical agrahara settlement. However, in the present context, the area does not experience any associated activities. Key features of the site include a 1.5-metre-wide brick enclosure, a temple structure and a circular platform with a sacrificial pit, all reflecting Brahmanical culture and the rich cultural landscape.

6.7 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monuments from environmental pollution:

The agricultural land present in the North- East direction of the Prohibited Area and in the North, East, West and in the outskirt of South directions of the Regulated Area is part of the natural landscape of the monument.

6.8 Usage of open space and constructions:

In the South direction of the Prohibited Area open space is used as a graveyard and is form of unconstructed patches of land between buildings. In the Regulated Area, the open spaces are mostly in form of open land under agricultural use. The construction is mainly used for residential and commercial purposes.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

Occasional events take place within the mazar (located inside the protected boundary), typically aligning with religious activities.

6.10 Skyline as visible from the monuments and from Regulated Areas:

The North-East and South directions of the Prohibited Area and from the North, East and West directions of the Regulated Area, the upper part of the mound is visible in the skyline when compared with the surrounding area.

6.11 Traditional Architecture:

A few old houses are present within the Prohibited Area towards Southern direction. Village huts are present in the East direction of the Prohibited Area and in the West direction of the Regulated Area.

6.12 Developmental plan, as available, by the local authorities:

There is no development plan prepared or made available in the public domain by any of the current Local Authorities.

6.13 Permissible Building related parameters:

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built-open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the protected monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminum Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of AMASR Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C (2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6(IV) and Rule 7 of The Ancient Monuments and Archaeological Sites & Remains (Framing of Heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated area of the protected monument or protected site, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of The Ancient Monuments and Archaeological Sites & Remains (Framing of Heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminum Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3.A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, as amended, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the protected monument.

6.13.3.B Regulated Area:

All the development control norms and building regulations specified in the Development Authority Building Construction and Development sub Method 2008, revised in 2016 (clause 1.1.1, 1.1.2, and 1.2.1) defined under the "Uttar Pradesh Municipal Planning and Development Act – 1973" as and when amended shall be applicable. However, the height and other parameters specified in this document shall be applicable in the Regulated Area of the Protected Monument.

In the agriculture land falling in the Regulated Area of the Protected Monument, only agriculture and agro related construction would be permissible.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

   The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **15.00 meters** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof.

   Construction of the basement may not be permitted to mitigate any adverse impact on the structural, safety of the protected monument.

2. **Usage:**

   (i) There is no land use specified by any of the current Local Authorities.

   (ii) Present land use may be retained, as far as feasible.

3. **Facade design:**

   (i) The facade design of new construction must be minimalistic in nature, so that it does not overpower the monument and the overall heritage character of the surrounding area. The facade design should be subtle, plastered and painted in earthy colours (white, grey, beige, brown etc.).

   (ii) Informal extensions of shops and residences are to be restricted for all the buildings located within regulated area.

   (iii) Facades of all historic buildings, shop houses need to be maintained as per original design (series of brackets, chajjas, arched doors, windows etc.).

   (iv) Plumbing and electrical services shall be organized and not on the exterior of the building.

4. **Roof design:**

   (i) Flat roof design in the area may be followed.

   (ii) Erection of Structures, even of temporary nature, using materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the building.

(iii) All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets, louvers, jaalis or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

5. Building material:

Consistency in building materials and colour along all street facades of the monument may be maintained. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes. Traditional building materials such as brick and stone should be used.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, white, beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like Metro (underground or overhead), foot-over bridges, flyover, multi-level parking or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

6.14 Visitors facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities may be considered in the vicinity of the Protected Monument as per feasibility.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

ii. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters should be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the monument.

iii. Any repair and renovation in the buildings abutting the perimeter of the Protected Monument should be carefully supervised so that it does not have any adverse impact on the structural integrity of the Protected Monument.

iv. Telephone exchanges, mobile towers, electricity transmission towers, chimneys and overhead water tanks within the Regulated Area should be discouraged and their location beyond the Regulated Area may be considered.

v. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monument may be encouraged to mitigate adverse impact on the monument due to vehicular emissions and vibrations.

vi. Construction of green buildings including best practices like rainwater harvesting should be encouraged.

7.2 Other recommendations:

i. The master plan as and when prepared clearly show all Protected Monuments of national importance and the Prohibited and Regulated Areas around these Protected Monuments.

ii. More indigenous/local dense canopy of trees should be planted along the modern boundary of the Protected Monument to elevate the buffer from the existing urbanisation around the Protected Monument.

iii. At present, there is no land use plan/master plan/zoning regulations etc. prepared by the local authorities. Hence, while preparing such plans, provisions of this Heritage Bye-law shall take precedence over local building bye laws, as and when they are prepared.

iv. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

v. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I

ANNEXURE–I

फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh, District-Kushinagar, Uttar Pradesh

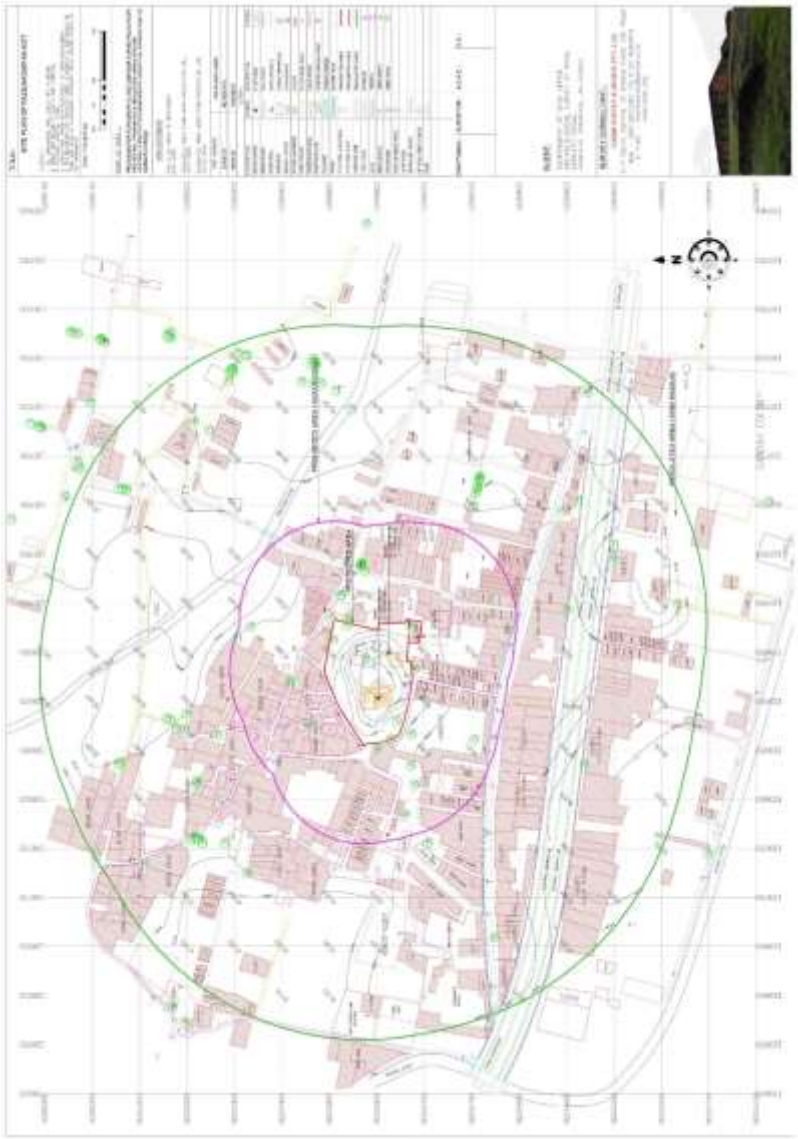

अनुलग्नक-II
ANNEXURE–II

एएसआई अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र-संरक्षित सीमाओं की परिभाषा
Notification map as per ASI records-defination of Protection Boundaries

मूल अधिसूचना
Original Notification

MINISTRY OF EDUCATION

ARCHAEOLOGY

New Delhi, the 26th October 1968

S.O. 3309.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Education No. S.O. 1617, dated the 27th May, 1966, published in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 4th June, 1966, the Central Government gave notice of its intention to declare the archaeological site and remains specified in the Schedule below to be of national importance.

And whereas no objections have been received to the making of such declaration.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said archaeological site and remains to be of national importance.

'THE SCHEDULE'

Sl. No.	State	District	Tehsil	Locality	Name of Site	Revenue plot number to be included under protection.	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Uttar Pradesh	Deoria	Padrauna	Fazilnagar	Ancient site known as Fazilnagar-Ka-Kot comprised in survey plot Nos. 766, 782 and part of survey plot Nos. 757, 758 and 759 as shown in the plan reproduced below.	Survey plot Nos. 766, 782 and part of survey plot Nos. 757, 758 and 759 as shown in the plan reproduced below.	2·54 acres.	*North.*—Survey plot Nos. 764, 765 and remaining portions of survey plot Nos. 757, 758 and 759. *East.*—Survey plot Nos. 755, 756, 780, 783 and 784. *South.*—Survey plot Nos. 605, 767, 780 and 781. *West.*—Survey plot Nos. 605, 606 and 607.	State Government.	There is a Karbla and a tomb of Muslim Saint on the mound.

3454 F

3040 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 5, 1968/KARTIKA 14, 1890 [PART II—

Typed Copy of Original Notification

MINISTRY OF EDUCATION

ARCHAEOLOGY

New Delhi, the 26th October, 1966

S.O.3309.- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Education No.S.O. 1617, dated the 27th May, 1966, published in Part II, Section 3. sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 4th June, 1966, the Central Government gave notice of its intention to declare the archaeological site and remains specified in Schedule below to be of national importance.

And whereas no objections have been received to the making of such declaration.

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4, of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958). The Central Government hereby declares the said archaeological site and remains to be of national importance.

'THE SCHEDULE'

Sl.No.	State	District	Tehsil	Locality	Name of Site	Revenue plot number to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	Uttar Pradesh	Deoria	Padrauna	Fazilnagar	Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759 as shown in the plan reproduced below	Survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759 as shown in the plan reproduced below.	2.54 acres.	*North*- Survey plot Nos. 764, 765 and remaining portions of survey plot Nos. 757, 758 and 759. *East*- Survey plot Nos 755, 756, 780, 783 and 784. *South*- Survey plot Nos 605, 767, 780, and 781 West- Survey plot Nos 605, 606, and 607.	State Government	There is a Karbla and a tomb of Muslim Saint on the mound.

अनुलग्नक-III

ANNEXURE-III

फाजिलनगर का कोट के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन स्थल जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 और 759 का भाग शामिल है का अभिलेखीय मानचित्र

Archival Map Showing Site Plan of Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District-Kushinagar, Uttar Pradesh, District-Kushinagar, Uttar Pradesh

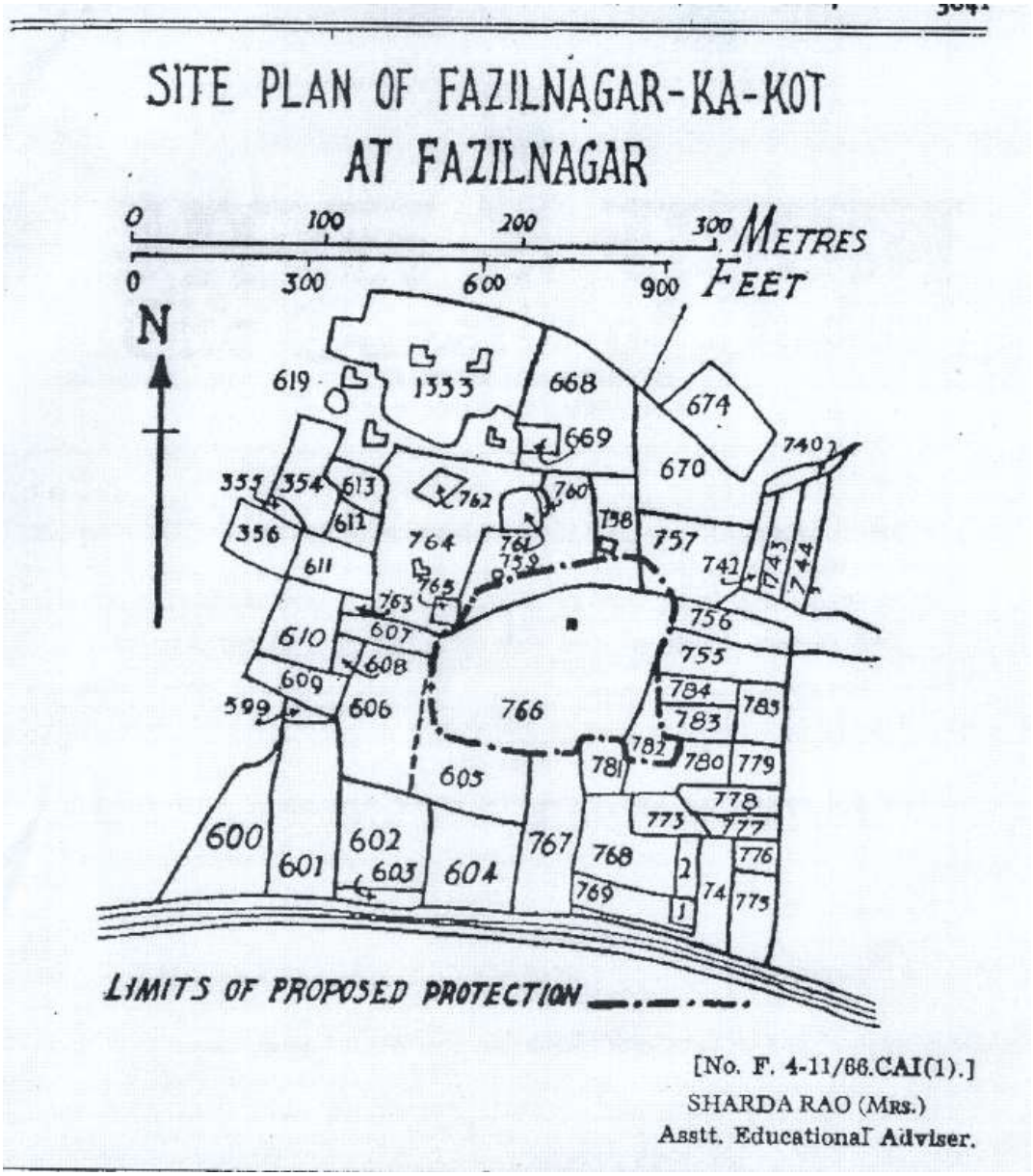

[No. F. 4-11/66.CAI(1).]

SHARDA RAO (MRS.)

Asstt. Educational Adviser.

अनुलग्नक-IV

ANNEXURE–IV

संस्मारक और उसके आसपास के चित्र
Images of the Monument and its Surroundings

चित्र 1: संरक्षित संस्मारक-फाजिलनगर का कोट

Image 1: Protected Monument- Fazilnagar ka kot

चित्र 2: संस्मारक तक जाने का रास्ता

Image 2: View of Approach Road

चित्र 3: संस्मारक से जाने का रास्ता

Image 3: View of Approach road from the Monument

चित्र 4 और 5: संस्मारक के सरंक्षित क्षेत्र के भीतर मजार और पीर
Image 4 and 5: Mazaar and Peer within he Protected Area of the Monument

चित्र 6: संरक्षित संस्मारक से दृश्य(उत्तर)
Image 6: View from the Protected Monument (North)

चित्र 7: संरक्षित संस्मारक से दृश्य (दक्षिण)
Image 7: View from the Protected Monument (South)

चित्र 8: संरक्षित संस्मारक से दृश्य (पूर्व)
Image 8: View from the Protected Monument (East)

चित्र 9: संरक्षित संस्मारक से दृश्य (पश्चिम)
Image 9: View from the Protected Monument (West)

चित्र 10: पूर्वी प्रतिषिद्ध क्षेत्र से सटा नया निर्माण
Image 10: New Construction abutting the Eastern Prohibited Area

चित्र 11: संरक्षित संस्मारक की सीमा में स्थित अगल-बगल की अस्थाई दुकाने
Image 11: Wayside temporary shops in boundary of the Protected Monument

चित्र 12: मौजूदा कब्रिस्तान
Image 12: Existing Kabristan Area

चित्र 13: प्रतिष्ठित क्षेत्र से संस्मारक का दृश्य
Image 13: View of Monument from the Prohibited Area

चित्र 14 और 15: संस्मारक के प्रतिषिद्ध के क्षेत्र के भीतर मौजूदा निर्माण (दक्षिण)
Image 14 and 15: Existing built up within the Prohibited Area of the Monument (South)

चित्र 16 और 17: विनियमित क्षेत्र में नया निर्माण (उत्तर)
Image 16 and 17: New Construction in the Regulated Area (North)

चित्र 18 और 19: संस्मारक के विनियमित क्षेत्र के भीतर मौजूदा और नया निर्माण
Image 18 and 19: Existing and New construction within the Regulated Area of the Monument

चित्र 20 और 21: संस्मारक के विनियमित क्षेत्र के भीतर मौजूदा स्कूल भवन

Image 20 and 21: Existing School Buildings within the Regulated Area of the Monument

चित्र 22 और 23: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कुछ पुराने आवास मौजूद हैं

Image 22 and 23: A few old residences are present within the Prohibited Area